न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह, ,
सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 837-एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.1.15 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, कटनी प्रकरण कमांक 10/ब–103/2014–15.

———

मेसर्स इन्द्र मार्बल एच. आई. जी. 88
सुधार न्यास कॉलोनी, कटनी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा – उप पंजीयक कटनी, म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री एस. पी. शुक्ला, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-10-2015 को पारित)

.....

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, कटनी के प्रकरण कमांक 10/ब–103/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20.1.15 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प, अधिनियम (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को ग्राम निवास तहसील बहोरीबंद जिला कटनी की भूमि खसरा नंबर 732 रकबा 3.50 हैक्टर पर खनिज मार्बल हेतु पट्टा शासन आदेश दिनांक 1.5.03 के द्वारा दस वर्ष के लिए स्वीकृत कर अनुबंधित किया गया । उक्त स्वीकृत उत्खनित पट्टे के अनुबंध पत्र का पंजीयन दिनांक 25.9.03 को किया गया था । म.प्र. शासन खनिज विभाग के आदेश दिनांक 4.3.14 द्वारा उक्त अवधि को 10 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष किया गया । तद्नुसार आवेदक ने दिनांक 3.4.14 को बढ़ी हुई अवधि 20 वर्ष के लिए पूरक अनुबंध उप पंजीयक के समक्ष रूपये 1000/– के स्टाम्प पर पंजीकरण हेतु पेश किया गया ।

उप पंजीयक ने उक्त दस्तावेज को मूल्य निर्धारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, कटनी को भेजा गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आवेदक को बिना सुने आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क+पंजीयक शुल्क (अर्थदंड सहित) 1091600/– रूपये की राशि जमा कराने का आदेश अधिनियम की धारा 33, 35, 38(1) (2) एवं 40 ख के तहत पारित करते हुए आवेदक द्वारा जमा कराई की राशि रूपये 626000/– को कम करते हुए शेष राशि रूपये 465000/– आवेदक को जमा कराने के निर्देश दिए ।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी कमांक 3055–एक/13 पेश की गई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3–12–14 को आदेश पारित करते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे आवेदक द्वारा दिनांक 3–4–14 को प्रस्तुत पूरक अनुबंध को 20 वर्ष की अवधि का मान्य करते हुए उस पर दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के दिनांक को प्रचलित दर के अनुसार स्टाम्प शुल्क की गणना कर प्रकरण का निराकरण करें । राजस्व मंडल से प्रकरण जाने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आलोच्य आदेश द्वारा द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूरक विलेख को 20 वर्ष की अवधि का मान्य किया है साथ ही उन्होंने स्टाम्प एक्ट की धारा 40 (ख) के तहत स्टाम्प डयूटी का 1 गुणा अर्थदण्ड आरोपित करते हुए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा कराई गई राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि रूपये 5,75,000/– जमा कराने के आदेश आवेदक को दिए हैं । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3–12–14 के आदेश द्वारा आवेदक की निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वे आवेदक द्वारा दिनांक 3–4–14 को प्रस्तुत अनुबंध को 20 वर्ष की अवधि का मान्य करते हुए स्टाम्प एक्ट की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद कमांक 33(4) के अनुसार स्टाम्प शुल्क की गणना कर प्रकरण का निराकरण करें परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को प्रदान की गई लीज की समयावधि को 20 वर्ष

तो मान्य किया है साथ ही पूर्व के आदेश में आरोपित अर्थदण्ड रूपये पचास हजार को रूपये से बढ़ाकर 6,00,500/–रूपये कर दिया है, जो पूरी तरह अवैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया कि उप पंजीयक ने दिनांक 20.6.14 के द्वारा प्रश्नाधीन पूरक अनुबंध को कलेटर स्टाम्प को उसका परीक्षण कर मूल्य निर्धारण हेत भेजा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को विलेख का परीक्षण कर उस पर देय मुद्रांक शुल्क की धनराशि का आंकलन करने के बाद मूल विलेख को उप पंजीयक, कटनी को वापिस भेजना था तब उप पंजीयक कटनी स्टाम्प एक्ट की धारा 35 के परंतुक के खंड–च के अनुसार कमी मुद्रांक शुल्क की पूर्ति विलेख प्रस्तुतकर्ता पक्षकार से कराकर विलेख को विधिवत पंजीकृत करते परंतु नियमों में निर्धारित इस वैधानिक प्रकिया का पूर्णरूप से उपेक्षा करते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने विधि विरूद्ध स्टाम्प एक्ट की धारा 48 (ख) के तहत प्रकरण में अर्थदण्ड जोकि वास्तव में शास्ति है का आरोपण कर क्षेत्राधिकार विहीन कार्य किया है ।

यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु यह है कि प्रश्नाधीन पूरक विलेख अनुबंध का निष्पादन म0प्र0 शासन की ओर से कलेक्टर, कटनी ने क़िया है तथा पूरक अनुबंध कलेक्टरेट की खानिज शाखा द्वारा तैयार किया गया है । खनिज शाखा ने जितने मूल्य का स्टाम्प देय बताया उतने मूल्य अर्थात रूपये 1000/– का स्टाम्प खनिज शाखा में प्रस्तुत किया गया जिस पर पूरक अनुबंध टाइप किया गया । अतः आवेदक अनुबंधगृहीता की ओर से कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिए वह केवल कमी स्टाम्प शुल्क शासन को प्रदान करने का उत्तरदाई है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अर्थदण्ड आरोपित करने संबंधी अंश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 3055–एक/13 में पारित आदेश दिनांक 03–12–14 का परिशीलन किया । यह प्रकरण स्टाम्प अधिनियम का है । इस प्रकरण में राजस्व मंडल ने लीज

की अवधि को 20 वर्ष मानते हुए स्टाम्प एक्ट की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद कमांक 33 (4) के अनुसार स्टाम्प शुल्क की गणना कर प्रकरण का निराकरण करें । इस पर से अधीनस्थ न्यायालय ने लीज की अवधि को 20 वर्ष की मानते हुए विधिवत गणना करके स्टाम्प शुल्क की गणना की गई है । जहां तक अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रश्न है स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार दिया गया है और उसी अनुसार उन्होंने अर्थदण्ड आरोपित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । पणिामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर